कार्यालय निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर

क्रमांक–:शिविरा / मा. / बजट / ई–कुबेर / 2019–20 / ब-५/ 25577 दिनांक 18/11/2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

विषय–: एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत राजकीय संव्यवहारों को ऑन–लाईन करने एवं संव्यवहारों / भुगतानों में पूर्ण शुद्वता हेतु समस्त कार्मिकों के मास्टर डाटा की जांच / सत्यापन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत राजकीय संव्यवहारों हेतु ऑनलाइन भुगतानों को भारतीय रिर्जव बैंक के ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से किये जाने तथा इससे सम्बन्धित निम्नाकिंत परिपत्र, को पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्याक पंत्राक दिनांक 27–08–2019 से संलग्न कर समुचित निर्देश प्रदान किये गये थे –

क्र.स.	परिपत्र का विषय	परिपत्र क्रंमाक	दिनांक
1	ई–कुबेर	F.5(TH-75)DTA/IFMS/ e-kuber/21475-874	21-03-18
2	एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत राजकीय संव्यवाहारों को ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निदेश	F.5(TH-75)DTA/IFMS/ e-kuber-VII/8094-493	26-09-18
3	महालेखाकार कार्यालय को ई–लेखा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश	F.5(TH-75)DTA/IFMS/ e-accounts/279-579	16-04-19
4	बजट नियत्रंण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार कार्यालय के साथ आय एवं व्यय के आंकड़ों का एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली से ऑनलाइन अंक मिलान	F.5(TH-75)DTA/IFMS/ reconciliation/2018/ 1956-2205	09-07-19

इस सम्बन्ध में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र एफ 5(थ–75)डीटीए / आईएफएमएस / 3666–4165 दिनांक 13–09–2019 से राजकीय संव्यवहारों / भुगतानों की प्रक्रिया में पूर्ण शुद्वता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है ।

उपर्युक्त समस्त परिपत्र वित्त विभाग की बेवसाईट (http://finance.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है ।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त परिपत्रों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे ।

www.rajteachers.com

इस सम्बन्ध में निम्नाकिंत महत्वपूर्ण बिन्दुओं की भी पूर्ण पालना करने हेतु निर्देशित किया जाता है–

1. विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में स्वीकृत पदों को आईएफएमएस पर आबंटित करने की कार्यवाही विभाग स्तर पर की जा रही है । इस कार्यवाही पश्चात पै–मेनेजर पर आपके कार्यालय में स्वीकृत पद एवं उसकी संख्या दर्शित होगी तथा इसी के आधार पर ही माह जनवरी देय फरवरी 2020 के बिल आहररित हो पायेंगे ।
2. वर्तमान में काफी संख्या में कार्मिकों के मास्टर डाटा मिसमेच चल रहे है । अतः परिपत्र दिनांक 13–09–2019 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार ''इस अवधि में एक कार्मिक/अधिकारी का मास्टर डाटा सर्विस बुक से जॉच कर विभागीय डिजिटल लॉगि से एकबारीय एडिट भी किया जा सकेगा । परन्तु उसके पश्चात यह फ्रीज हो जायेगा'' । अतः इस सम्बन्ध में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त कार्मिकों को अपने स्तर पर निर्देशित करावें कि वे अपने मास्टर डाटा की जांच पे–मेनेजर की एम्पलाई लागिन आईडी से कर लेंवे तथा कतिपय प्रविष्टियों में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो उसमें समुचित अभिलेख के साथ अपने–अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी से उसका अपडेशन दिनांक 10–12–2019 तक आवश्यक रूप से करवा लेंवे । मास्टर डाटा फ्रीज होने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर नहीं हो सकेगा तथा मास्टर डाटा में मिसमेच के कारण यदि किसी कार्मिक का वेतन आहरण में किसी प्रकार की विलम्बता होती है तो उसके लिए सम्बद्व कार्मिक एवं सम्बद्व आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा ।
3. यदि किसी कार्मिक के पे–मेनेजर के मास्टर डाटा एवं विभागीय पोर्टल शाला दर्पण के डाटा में किसी प्रकार का मिसमेच है तो उसको भी निर्धारित अवधि में ही अपडेशन आवश्यक रूप से करवा लेंवे ।

इस विषय में राज्य सरकार स्तर पर किये जाने वाले प्रक्रियात्मक अद्यतन के लिए वित्त विभाग की बेवसाईट को नियमित रूप से विजिट करें तथा उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या आने पर इन परिपत्रों में दिये गये दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर/ई–मेल पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः—शिविरा / प्रारं / मा. / बजट / बी—4 / 25577 / 2019—20 दिनांक 18/11/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय—I) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—5), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, (आयोजना), प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (संभाग कार्यालय) शिक्षा विभाग।
6. सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर जारी करने हेतु।
7. उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, कार्यालय हाजा।
8. उप निदेशक (समाज शिक्षा), बीकानेर।
9. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाए, राजस्थान, बीकानेर।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक शिक्षा।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा—विधि जयपुर / जोधपुर।
14. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
16. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
17. प्रबन्धक, गुरूनानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर।
19. प्रधानाचार्य, / प्रधानाध्यापक, मूक बधिर अंध विद्यालय, अजमेर / जयपुर / बीकानेर / उदयपुर / जोधपुर।
20. प्रधानाचार्य, प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर।
21. प्रधानाचार्य, अल्प भाषाई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, तोपदडा अजमेर।
22. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
23. प्रधानाध्यापक, रा0 विशिष्ठ पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय, रेजीडेन्सी परिसर उदयपुर।
24. सम्बन्धित अधिकारी / प्रभारी...।
25. सहायक लेखाधिकारी, अंकमिलान अनुभाग, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com